न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस**

वाद पत्र संख्या :–**380/2013**

उनवान

रामस्वरूपपुत्र काना
2. छाजू पुत्र काना
3. शिम्भू पुत्र कानाम (फौत)
3/1 बनवारी पुत्र शिम्भू
3/2 बिरदीचन्द उर्फ वृद्विचन्द पुत्र शिम्भू
3/3 रतनलाल पुत्र स्व0 शिम्भू
3/4 मायादेवी पुत्र स्व0 शिम्भू
3/5 आशादेवी पुत्री स्व0 शिम्भू
3/6 कविता देवी पुत्री स्व0 शिम्भू
3/7 सारली देवी पत्नि स्व0 शिम्भू

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
2 पटवारी पटवार मण्डल देवल तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादी

<u>दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88 188 आरटीए0</u>

निर्णय दिनांक 10.8.2020

वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 2784/2861 रका 0.35 है0 भूमि म लोबडावास तहसील शाहपुरा में स्थित है जो कि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक लगानी दर्ज है । उक्त राजी पर वादीगण अपने बुर्जगों के समय से ही 15.10.55 के पूर्व से ही हाल आराजी ख0नं0 784/2861 रकबा 0.35 है0, व ख0नं0 2784/2924 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम लोबडावास पर काबिज कर काश्त करते चले आ रहे है ।दिनांक 25.5.1999 को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन या गया था तथा उक्त आवंटन को सक्षम अधिकारी के द्वारा निरस्त नहीं किया गया है जो आज भी ी है । ख0नं0 2784/2924 रकबा 0.44 है0 भूमि वाके ग्राम लोबडावास वादी के गैर खातेदारी दर्ज के खातेदारी दे दी गयी है लेकिन वादीगण के बार बार निवेदन करने पर भी प्रतिवादीगण के द्वारा आवंटन शुदा भूमि ख0नं0 2784/2861 रकबा 0.35 है0 भूमि खातेदारी दर्ज नहीं की गई है जबकि वादीगण सम्पूर्ण शर्तो की पालना की है। उक्त आवंटन शुदा भूमि की खातेदारी देने हेतु प्रतिवादीगण को प्रार्थना त्र भी पेश किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी को भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया लेकिन खातेदारी दर्ज करने में टालमटोल करते रहे है तथा दिनांक 23.8.2013 को जब प्रतिवादी से इस सम्बन्ध में मिला तो प्रतिवादीगण ने वादीगण के नाम भूमि दर्ज करने से मना कर दिया तथा एलानिया धमकी दी कि उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है इस कारण तुम्हें उक्त भूमि से बैदखल किया जावेगा व तुम्हारे विरुद्व धारा 91 राज0भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी । उक्त धमकी व बैदखली की कार्यवाही से यह वाद पत्र पेश किया गया ।

अन्त में वादी ने निवेदन किया कि एक्त मुतनाजा आराजी पर वादी का कब्जा काश्त होने व आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वादी के पक्ष मे आवंटन आदेश पारित करने व वादीगण द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना करने व प्रतिवादीगण द्वारा आराजी की खातेदारी दर्ज नहीं करने पर वाद पत्र पेश कर उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें ।

वादपत्र विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया। प्रतिवादी ने जाहिर किया कि वादी के नाम आवंटन पश्चात गैर खातेदारी का नामान्तकरण नहीं भरा गया था । न ही प्रार्थी का कब्जा काश्त का कोई साक्ष्य संलग्न किया गया है। प्रतिवादी ने यह भी जाहिर किया कि उक्त भूमि का कोई गैर खातेदारी नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया है न हीं प्रार्थी का कब्जा बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण का जवाब पेश होने पर विधिवत तनकीयात कायमी की जाकर वकील वादी के द्वारा ...क्ष्य पेश किया गया जिसमें सभी के द्वारा अपना शपथ पत्र पेश कर वादी का कब्जा होना व आवंटन की ...र्तों की पालना होना जाहिर किया गया । प्रतिवादीगण की ओर पटवारी हल्का को तलब किया गया तथा

...जकीय पैरोकार को इस प्रकरण में विशेष हिदायत के साथ पैरवी करने हेतु आदेशित किये जाने पर ...तिवादीगण की ओर से राजकीय पैराकर व संबंधित पटवारी हल्का न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर ...हिर किया कि उक्त विवादित आराजी ख0नं0 2784/2861 की भूमि का सहायक अभियन्ता सिंचाई ...खण्ड शाहपुरा के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि उक्त आराजी शिखरगट्टा बांध परियोजना के ...क्षेत्र में होने से तथा तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलक्टर के द्वारा उक्त आवंटन आदेश ...अमल रोका गया था तथा भूमि झूब क्षेत्र में होने के कारण आंवटन योग्य भी नहीं थी । प्रार्थी/वादी को ...य खसरा नम्बर 2784/2924 आवंटन हुई थी जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया था ...किन विवादित आराजी डूब क्षेत्र में होने से आवंटन अधिकारियों के द्वारा ही आवंटन का अमल दरामद ...ही किये जाने के आदेश होने से ख0नं0 2784/2861 का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नही किया था ...इस कारण वादीगण का वादपत्र खारिज योग्य है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा नम्बर 2784/2861 ...ा 0.35 है0 भूमि सिवायचक दर्ज है तथा दिनांक 25.5.99 को भू आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा .../वादी को आवंटन किया गया है। उक्त विवादित आराजी के साथ खसरा नम्बर 2784/2924 रकबा ... है0 भूमि वादी को आवंटित की गई थी । ख0नं0 2784/2924 का प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में ... दरामद भी किया गया है लेकिन ख0नं0 2784/2861 का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया ... है जिसके सम्बन्ध में पटवारी हल्का व राजकीय पैराकार द्वारा जाहिर किया कि आराजी ख0नं0 .../2861 की भूमि का सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड शाहपुरा के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया ...उक्त आराजी शिखरगट्टा बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में होने से तथा तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी व ...यक कलक्टर के द्वारा उक्त आवंटन आदेश का अमल रोका गया था जो सही प्रतीत होता है चूंकि ...जी ख0नं0 2784/2924 का प्रार्थी/वादी के नाम नामान्तकरण स0 52 स्वीकृतशुदा है तथा ख0नं0 .../2861 का उक्त नामान्तकरण में काटा गया है जिससे यह जाहिर है कि ख0नं0 2784/2861 बांध ...जना के डूब क्षेत्र में होने से वादी का आवंटन आदेश रोका गया है, तथा डूब क्षेत्र की भूमि आवंटन के ... भी नहीं होती है। इस प्रकार वादी का वाद पत्र दावा डिकी किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः वादी का वादपत्र आराजी खसरा नम्बर 2784/2861 रकबा 0.35 है0 भूमि वाके ग्राम ...ावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर शिखरगट्टा बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में होने से खारिज ... जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10-8-2020 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार ... दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद संख्या :– 380/2020

उनवान

1.रामस्वरूपपुत्र काना
2. छाजू पुत्र काना
3. शिम्भू पुत्र कानाम (फौत)
3/1 बनवारी पुत्र शिम्भू
3/2 बिरदीचन्द उर्फ वृद्विचन्द पुत्र शिम्भू
3/3 रतनलाल पुत्र स्व0 शिम्भू
3/4 मायादेवी पुत्र स्व0 शिम्भू
3/5 आशादेवी पुत्री स्व0 शिम्भू
3/6 कविता देवी पुत्री स्व0 शिम्भू
3/7 सारली देवी पत्नि स्व0 शिम्भू

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
2 पटवारी पटवार मण्डल देवल तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88 188 आरटीए0

निर्णय दिनांक:

त: वादी का वादपत्र आराजी खसरा नम्बर 2784/2861 रकबा 0.35 है0 भूमि वाके ग्राम लोबड़ावास हसील शाहपुरा जिला जयपुर शिखरगट्टा बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में होने से खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज तारीख 10.8.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की द्रा लगाकर जारी की गई ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	